

सतना जिले में शिक्षकों के दृष्टिकोण का स्व-सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्य निष्पादन का एक समीक्षात्मक अध्ययन

¹ डॉ. मन्जू कुषवाहा ² डॉ. जय सिंह

¹ प्राचार्य, मनोज जैन मेमोरियल कालेज, सतना, मध्य प्रदेश, भारत।

² प्राध्यापक शिक्षा, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश

शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर मानव यात्रा का नाम है। शिक्षा से मनुष्य के अन्तः चक्षु खुल जाते हैं। उसे आत्मिक तथा अलौकिक प्रकाश मिलता है। शिक्षा से सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम, एक ऐसा महत्वपूर्ण व महत्वकाँक्षी कार्यक्रम है जिसने ग्रामीण बच्चों की दोपहर में कक्षा में भूखे रहने की समस्या का निराकरण उन्हें स्कूली शिक्षा से जोड़ने में महती भूमिका निभाई है। प्रस्तुत शोध प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निरंतरता व स्व सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्य निष्पादन के विषय में शिक्षकगणों के दृष्टिकोण के अध्ययन पर आधारित है। शोध के निष्कर्ष यह बताते हैं कि शिक्षकों के दृष्टिकोण में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने स्कूली शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। इसलिये भविष्य में भी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के चलते रहने में सहमति जताई है व स्व सहायता समूह के कार्य निष्पादन के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाया है।

मूलशब्द: सतना जिला, शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र, स्वसहायता समूह, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, प्राथमिक व माध्यमिक शासकीय विद्यालय, शिक्षक वर्ग

प्रस्तावना

शिक्षा व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली साधन है। यही कारण है कि प्रत्येक समाज अपने नागरिकों के समुचित विकास के लिये शिक्षा प्रक्रिया का उपयोग करके उनमें ज्ञान, कौशल, अवबोध, अभिवृत्तियां, मूल्य एवं आत्म प्रत्यय आदि का समावेश करने का प्रयास करता है जिससे उसके नागरिक अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक कर सकें। इसके साथ-साथ शिक्षा समाज को एकीकृत एवं संगठित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षा समाज को विद्यत्त करने वाले विभिन्न कारकों यथा ईर्ष्या, वैमनस्य, पक्षपात, निहित स्वार्थ, अंधविश्वास धर्मान्धता, रूढ़िवादिता आदि का खंडन करके समाज को एकीकृत एवं संगठित करने में भी मदद करती है।

सामाजिक न्याय तथा समानता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वंचित एवं सम्पन्न वर्गों के बीच खाई को शीघ्रातिशीघ्र कम कर दिया जाये। शिक्षा इस कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सामाजिक न्याय तथा समानता की दृष्टि से भी यह अत्यन्त आवश्यक है कि शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता एवं उसके वास्तविक उपभोग में दृष्टिगोचर होने वाली असमानता को दूर करके सभी क्षेत्रों (ग्रामीण एवं शहरी) के छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर उपलब्ध कराये जायें।

शिक्षा जैसी अनमोल वस्तु को विद्यार्थियों तक पहुँचाने में शिक्षक एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। भारत में शिक्षा को प्राथमिकता पर रखते हुए उसके प्रसार के लिए शासन द्वारा कई योजनाएँ विद्यालयीन पर संचालित की जा रही हैं। बाल शिक्षा विकास को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1995 में स्कूली शिक्षा के माध्यम से एक महत्वकाँक्षी कार्यक्रम—मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का प्रारम्भ किया। यह कार्यक्रम स्कूली बच्चों को शाला में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उनके पोषण का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दोपहर में गर्म एवं रुचिकर भोजन प्रदाय किया

जाता है। प्राथमिक शालाओं में कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल 2008 से इसे उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा छठी से आठवी तक के विद्यार्थियों के लिए भी विस्तारित कर दिया। अपने प्रारम्भ से यह कार्यक्रम अब तक अनेकों उतार-चढ़ाव से गुजारा एवं परिष्कृत हुआ है। प्रारम्भ में इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सूखा अनाज उपलब्ध कराया जाता था। 28 नवम्बर 2001 के अपने ऐतिहासिक आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को कहा कि वे प्राथमिक शालाओं में पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाएँ। शाला स्तर पर शिक्षकगण शिक्षण कार्य के साथ-साथ विद्यार्थियों को पका हुआ। मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व भी निभाते थे। शिक्षण कार्य में हो रही बाधा को देखते हुए 2007 से ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह द्वारा भोजन तैयार करवाया जाता है व शहरी क्षेत्रों में केंद्रीकृत किचिन से मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

अध्ययन की आवश्यकता

वर्तमान में शाला स्तर पर मध्याह्न भोजन पकाने का कार्य स्वसहायता समूह द्वारा संपन्न किया जा रहा है। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सुचारु रूप से चले, यह शिक्षकगणों का महती उत्तरदायित्व है। अतः मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निरंतरता के प्रति व उसमें स्व सहायता समूह के कार्य निष्पादन पर शिक्षकगणों के दृष्टिकोण को समझने के लिए इस अध्ययन की आवश्यकता को महसूस किया गया ताकि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से वांछित परिणाम प्राप्त हो सकें।

शोध की परिकल्पनायें

स्व सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्य निष्पादन से शिक्षकगण संतुष्ट हैं।

विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम निरंतर चलता रहना चाहिए।

उद्देश्य

- वर्तमान में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में शिक्षकगणों की भूमिका का अध्ययन करना।
- स्वसहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्य निष्पादन पर शिक्षकगण के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निरंतरता के विषय में शिक्षकगण की राय जानना।

शोध समस्या का सीमांकन

प्रस्तुत अध्ययन सतना जिले के 08 विकासखंडों में से 80 प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों तक ही सीमित रहा है।

अध्ययन विधि : प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययन हेतु अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

समष्टि व प्रतिदर्श : इस अध्ययन की समष्टि में सतना जिले के 08 विकासखंड के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के 80 प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों से प्रति दो शिक्षकों का अर्थात् कुल 160 शिक्षकों के प्रतिदर्श को शोधार्थी ने अपने शोध के लिये चुना है।

शोध उपकरण

शोधकर्ता ने शाला स्तर पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम व उसमें संलग्न स्व सहायता समूह के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में शिक्षकों से जानकारी प्राप्त करने हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया है।

प्रदत्त संकलन विधि

प्राथमिक तथ्य सामग्री के संकलन हेतु शिक्षकों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से एवं द्वितीयक तथ्य सामग्री के संकलन हेतु दस्तावेजी अध्ययन स्रोतों यथ विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन, पूर्ववर्ती अध्ययन व शोध रिपोर्ट व इंटरनेट व अखबारों के माध्यम से तथ्य संकलन कर शोधकार्य पूरा किया गया है।

सतना जिले का सामान्य परिचय

भारत के हृदय स्थल में बसा मध्यप्रदेश अपने आप में विभिन्न संस्कृतियों, पुरासम्पदाओं, प्राकृतिक सौंदर्यता, अनमोल धरोहरों, धार्मिक स्थलों, अनुपम कलाकृतियों से सुसज्जित है। सतना मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमा के मध्य स्थित वर्तमान रीवा संभाग का एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रधान जिला है। जिले के उत्तर में उत्तर प्रदेश का बाँदा जिला पूर्व में रीवा एवं सीधी जिला, दक्षिण में शहडोल व जबलपुर जिला, तथा पश्चिम में

पन्ना जिला स्थित है। जिला अपनी धार्मिक विरासतों, औद्योगिक संस्थानों, सांस्कृतिक ऐतिहासिक परिदृश्यों, प्रमुख वनोपज एवं खनिज के कारण सर्वोच्च शिखर पर है। जिला वीर, पराक्रमी, योद्धाओं, वीरांगनाओं, सेनानियों आदि से जाना पहचाना जाता है। सतना जिले का 23°58'25" उत्तरी अक्षांश व 80°12'81" पूर्वी देशान्तर तथा 370.00 मीटर समुद्र तल से ऊँचाई पर स्थित है।

वर्तमान में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में शिक्षकगणों की भूमिका

शाला स्तर पर मध्याह्न भोजन का संपूर्ण देख रेख करना: शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका में स्व सहायता समूह द्वारा पकाये जा रहे मध्याह्न भोजन में भोजन की गुणवत्ता, सुस्वादु भोजन, प्रति विद्यार्थी खाने की तय मात्रा, रोजाना निर्धारित मेन्यू अनुसार भोजन व समय पर भोजन वितरण, समूह की महिलाओं का बच्चों से सही व्यवहार व विशेष रूप से हर स्तर पर स्वच्छता का निरीक्षण करना है।

भोजन के गुणवत्ता का जाँच करना : खाना चखकर भोजन की गुणवत्ता की जाँच करना। तत्पश्चात् बच्चों को भोजन वितरण करना। बच्चों को मध्याह्न भोजन खाने के लिये प्रेरित करना।

दैनिक उपस्थिति : दैनिक छात्रों की उपस्थिति देना व रिकार्ड रखना।

भंडारण व्यवस्था : शाला स्तर पर समूह के लिए खाद्यान्न, भोजन सामग्री व ईंधन के भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

खाद्यान्न उठाव प्रत्रक देना— बी.आर.सी द्वारा प्रदत्त खाद्यान्न उठाव प्रत्रक समूह को देना व रसोईयों की राशि व समूह की राशि खातों में डलवाना।

टीप लिखना : रोजाना भोजन की गुणवत्ता पर टीप लिखना व दैनिक एक थाली भोजन की रखवानी ताकि आवश्यकता पड़ने पर भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके।

शिकायती कार्यवाही : मध्याह्न भोजन में भोजन की गुणवत्ता या अन्य शिकायत पाये जाने पर समूह को समझना व नोटिस पर जारी करना।


आवश्यक दिशा निर्देश : समूह को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश देना व सूचनाओं से अद्यतन करना।

लेखा संधारण : मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से संबंधित रजिस्टर जैसे मध्याह्न भोजन निरीक्षण पंजी, माता रोस्टर पंजी, मध्याह्न भोजन का मासिक प्रतिवेदन पत्रक, मध्याह्न भोजन आय-व्यय पंजी, शिक्षक टीप पंजी (भोजन के संबंध)

तालिका 1: अध्ययन से प्राप्त आकड़ें: साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से पूछे गये विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से निम्न परिणाम प्राप्त हुये

क्र.	प्रश्न	उत्तर			योग
		हाँ	नहीं	कभी-कभी	
1	क्या आपके विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना संचालित है?	160 (100)	0 (0)	0 (0)	160 (100%)
2	विद्यालय में भोजन स्व सहायता समूह की महिला द्वारा पकाया जाता है?	160 (100)	0 (0)	0 (0)	160 (100%)
3	क्या शासन के निर्धारित मेन्यू अनुसार भोजन प्रदाय किया जाता है?	129 (80.6%)	12 (7.5%)	19 (11.9%)	160 (100%)
4	क्या समूह की महिला/रसोईये द्वारा विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर रोजाना भोजन का वितरण किया जाता है?	137 (85.6%)	0 (0)	23 (14.4%)	160 (100%)
5	क्या आपके द्वारा भोजन की गुणवत्ता परखने के लिये मध्याह्न भोजन ग्रहण किया जाता है?	160 (100%)	0 (0)	0 (0)	160 (100%)
6	क्या समूह की महिलाओं द्वारा निम्न वर्ग के विद्यार्थियों के प्रति भेदभाव का व्यवहार किया जाता है?	0 (0)	160 (100%)	0 (0)	160 (100%)
7	क्या कभी मध्याह्न भोजन से किसी बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई है?	0	147	13	160

	(0)	(91.9%)	(8.1%)	(100%)
8	141 (88.1%)	19 (11.9%)	0 (0)	160 (100%)
9	124 (77.5%)	21 (13.1%)	15 (9.4%)	160 (100%)
10	140 (87.5%)	7 (4.4%)	13 (8.1%)	160 (100%)
11	117 (73.1%)	26 (16.3%)	17 (10.6%)	160 (100%)
12	119 (74.4%)	25 (15.6%)	16 (10%)	160 (100%)
13	139 (86.9%)	8 (5.0%)	13 (8.1%)	160 (100%)
14	147 (91.9%)	13 (8.1%)	0 (0)	160 (100%)



उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि

- 80.6 प्रतिशत शिक्षकों ने यह पुष्टि की है कि उनकी शाला में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा व स्व सहायता समूह की महिलाये ही मध्याह्न भोजन पकाने का कार्य कर रही है।
- 85.6 प्रतिशत शिक्षकों ने यह बताया है कि समूह द्वारा निर्धारित मेन्सू अनुसार भोजन प्रदाय करते हैं। 11.9 प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि समूह कभी-कभी निर्धारित मेन्सू अनुसार भोजन प्रदाय नहीं करते हैं।
- 85.6 प्रतिशत शिक्षकों ने यह बताया है कि स्व सहायता समूह द्वारा रोजाना निर्धारित समय पर भोजन वितरित किया जाता है। 14.4 प्रतिशत शिक्षक कहते हैं कि भोजन वितरण समय में कभी-कभी देर हो जाती है।
- शत प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि वे भोजन की गुणवत्ता परखने के लिये मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हैं।
- शत प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि समूह द्वारा भोजन वितरण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।
- 91.9 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि मध्याह्न भोजन से किसी बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई है। 8.1 प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि कभी-कभी बच्चे पेट दर्द आदि की शिकायत करते हैं।

- 88.1 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि समूह द्वारा भोजन बनाते समय स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है वहीं 11.9 प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि समूह द्वारा भोजन बनाते समय स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता है।
- 77.5 प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि समूह की महिलाएँ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से जुड़ी सभी गतिविधियों का उचित प्रबंधन कर पा रही हैं, वहीं 13.1 प्रतिशत शिक्षक असहमत थे। जबकि 9.4 प्रतिशत शिक्षकों कोई राय नहीं दी।
- 87.5 प्रतिशत शिक्षकों समूह द्वारा पकाये भोजन से संतुष्ट पाये गये, वहीं 4.4 प्रतिशत शिक्षकों उनके पकाये भोजन से असंतुष्ट पाये गये जबकि 8.1 प्रतिशत शिक्षकों उनके पकाये भोजन के प्रति कोई राय नहीं दी।
- 73.1 प्रतिशत शिक्षकों की राय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से समूह की महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आये है, 16.3 प्रतिशत शिक्षक असहमत थे। 10.6 प्रतिशत ने कोई राय नहीं दी।
- 74.4 प्रतिशत शिक्षकों की राय में मध्याह्न भोजन योजना से सामाजिक समरसता व जातिगत समानता में वृद्धि हुई है, 15.6 प्रतिशत शिक्षक असहमत थे व 10 प्रतिशत ने कोई राय नहीं दी।

- 86.9 प्रतिशत शिक्षकों की राय में अनुसार मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से स्कूली शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, 5.0 प्रतिशत शिक्षक असहमत थे व 8.1 प्रतिशत ने कोई राय नहीं दी।
- 91.9 प्रतिशत शिक्षकों की राय में भविष्य में भी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलता रहना चाहिये व 8.1 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम बंद कर देना चाहिये।

निष्कर्ष

शोध अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षकों के दृष्टिकोण के अनुसार शाला स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में संलग्न स्व सहायता समूह द्वारा भोजन पकाते व वितरण करते समय निर्धारित मानकों का अनुसरण कर रहा है व स्वसहायता समूह द्वारा पकाये मध्याह्न भोजन से वे संतुष्ट हैं। शिक्षकों ने मध्याह्न भोजन में खाने की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ ही भविष्य में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के चलते रहने में सहमति जताई व स्व सहायता समूह के कार्य निष्पादन के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाया है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. पाण्डेय, बैजनाथ – पूर्ण साक्षरता के लिये वरदान: मिड-डे मील कार्यक्रम, 'कुरुक्षेत्र': मासिक पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2007; वर्ष-53 अंक-11 पृ0 13-14।
2. उद्यमिता विकास केन्द्र, मध्यप्रदेश – मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, समूह हेतु मार्गदर्शिका, सेडमेप भोपाल; 2002।
3. मध्याह्न भोजन— एक प्रवेशिका, प्रकाशक : रोजी-रोटी अधिकार अभियान, सचिवालय, दिल्ली चतुर्थ संस्करण : नवम्बर 2007।
4. ज्यां ट्रेज और अपराजिता गोयल, मध्याह्न भोजन योजना का भविष्य, रिपोर्ट ऑफ सेन्टर फॉर इक्विटी स्टडीज, नई दिल्ली।
5. प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन – समता के लिये अपरिहार्य, ज्यां ट्रेज व रीतिका खेरा, योजना पत्रिका, अंक नवम्बर 2008 अंक 52।
6. अनिवार्य शिक्षा कानून और अग्रणी प्राथमिक शिक्षा योजनाएं, (योजना संपादकीय टीम द्वारा संकलित) योजना पत्रिका, अंक नवम्बर 2012।
7. झा, शीतला एवं दुबे शैलजा – मध्याह्न भोजन कार्यक्रम व स्व सहायता समूह के कार्य निष्पादन पर शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन, त्मेमंतबी म्माचव प्दजमतदंजपवदंस डनसजपकपेबपचसपदंतल त्मेमंतबी श्रवनतदंसए 2016य टवसण टप् ष्नेम दृ ष् चचण59.64ण।
8. सिंह, शिव प्रकाश – भारत में 'सभी के लिये शिक्षा' अभियान: मिथक या वास्तविकता, प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका प्रकाशक एवं मुद्रक महेन्द्र जैन, 2007; आगरा, पृ0 1878-1879।